भारत सरकार
गृह मंत्रालय
राज्य सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 225
दिनांक 27 नवम्बर, 2024/ 06 अग्रहायण, 1946 (शक) को उत्तर के लिए

साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी)

225 श्री बाबूभाई जेसंगभाई देसाईः

डा. मेधा विश्राम कुलकर्णीः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) विगत तीन वर्षों के दौरान देश में कुल कितने साइबर अपराध हुए हैं, तत्संबंधी राज्य-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या साइबर धोखाधड़ी शमन केन्द्र (सीएफएमसी) ने साइबर धोखाधड़ी की घटनाओं का वास्तविक समय पर पता लगाने और उनकी प्रतिक्रिया में संवर्धन करने के लिए विशिष्ट उपायों का कार्यान्वयन किया है और ऐसे अपराधों को कम करने में ये कितने प्रभावी रहे हैं; और

(ग) क्या सीएफएमसी ने ऑनलाइन वित्तीय अपराधों से निपटने के लिए एक निर्बाध ढांचा तैयार करने के लिए बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों और विधि प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग को सुकर बनाने की योजना बनाई है, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री बंडी संजय कुमार)

(क) से (ग) : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) अपराधों से संबंधित सांख्यिकीय आंकड़ों को अपने प्रकाशन 'क्राइम-इन- इंडिया' में संकलित और प्रकाशित करता है। नवीनतम प्रकाशित रिपोर्ट वर्ष 2022 की है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार, वर्ष 2020 से 2022 की अवधि के दौरान साइबर अपराधों (माध्यम /लक्ष्य के रूप में संचार उपकरणों समेत) के तहत दर्ज किए गए मामलों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र वार ब्यौरा अनुलग्नक में दिया गया है।

राज्य सभा अता.प्र.स. 225 दिनांक 27.11.2024

भारत के संविधान की सातवीं अनुसूची के अनुसार, 'पुलिस' और 'लोक व्यवस्था' राज्य के विषय हैं। राज्य/संघ राज्य क्षेत्र अपनी विधि प्रवर्तन एजेंसियों के माध्यम से साइबर अपराध समेत अपराधों की रोकथाम करने, उनका पता लगाने, जाँच करने और अभियोजन चलाने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार हैं। केंद्र सरकार, राज्यों / संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के क्षमता संवर्धन के लिए उनके द्वारा किए जा रहे प्रयासों में एडवाइजरी और विभिन्न स्कीमों के अंतर्गत वित्तीय सहायता के माध्यम से सहायता प्रदान करती है।

केंद्र सरकार ने साइबर अपराधों से व्यापक और समन्वित ढंग से निपटने हेतु तंत्र को सुदृढ़ बनाने के लिए उपाय किए हैं, जिनमें साइबर अपराधों के बारे में जागरूकता बढ़ाना, चेतावनी/ एडवाइजरी जारी करना, विधि प्रवर्तन कार्मिकों/ अभियोजकों/ न्यायिक अधिकारियों का क्षमता निर्माण/ प्रशिक्षण और साइबर फॉरेंसिक सुविधाओं को बेहतर बनाना आदि शामिल हैं। सरकार ने देश में सभी प्रकार के साइबर अपराधों से समन्वित और व्यापक ढंग से निपटने के लिए एक संबद्ध कार्यालय के रूप में 'भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र' (आई4सी) स्थापित किया है।

आई4सी में एक अत्याधुनिक साइबर धोखाधड़ी शमन केंद्र (सीएफएमसी) स्थापित किया गया है, जहां प्रमुख बैंकों, वित्तीय मध्यस्थों, भुगतान एग्रीगेटर्स, दूरसंचार सेवा प्रदाताओं, आईटी मध्यस्थों के प्रतिनिधि और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की विधि प्रवर्तन एजेंसियों के प्रतिनिधि साइबर अपराध से निपटने के लिए तत्काल कार्रवाई और निर्बाध सहयोग के लिए साथ मिलकर काम कर रहे हैं।

सीएफएमसी सक्रिय रूप से रियल - टाइम धोखाधड़ी रिपोर्ट प्रदर्शित करता है, जिससे बैंकों, वित्तीय संस्थानों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर धोखाधड़ी के मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने में मदद मिलती है।

*****

अनुलग्नक

राज्य सभा प्र.सं. 225 दिनांक 27.11.2024

वर्ष 2020-2022 के दौरान साइबर अपराधों के तहत राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार दर्ज किए गए मामले

क्र.स.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2020	2021	2022
1	आंध्र प्रदेश	1899	1875	2341
2	अरुणाचल प्रदेश	30	47	14
3	असम	3530	4846	1733
4	बिहार	1512	1413	1621
5	छत्तीसगढ़	297	352	439
6	गोवा	40	36	90
7	गुजरात	1283	1536	1417
8	हरियाणा	656	622	681
9	हिमाचल प्रदेश	98	70	77
10	झारखंड	1204	953	967
11	कर्नाटक	10741	8136	12556
12	केरल	426	626	773
13	मध्य प्रदेश	699	589	826
14	महाराष्ट्र	5496	5562	8249
15	मणिपुर	79	67	18
16	मेघालय	142	107	75
17	मिजोरम	13	30	1
18	नागालैंड	8	8	4
19	ओडिशा	1931	2037	1983
20	पंजाब	378	551	697
21	राजस्थान	1354	1504	1833
22	सिक्किम	0	0	26
23	तमिलनाडु	782	1076	2082
24	तेलंगाना	5024	10303	15297
25	त्रिपुरा	34	24	30
26	उत्तर प्रदेश	11097	8829	10117
27	उत्तराखण्ड	243	718	559
28	पश्चिम बंगाल	712	513	401
	कुल राज्य	**49708**	**52430**	**64907**
29	अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह	5	8	28
30	चंडीगढ़	17	15	27
31	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	3	5	5
32	दिल्ली	168	356	685
33	जम्मू और कश्मीर	120	154	173
34	लद्दाख	1	5	3
35	लक्षद्वीप	3	1	1
36	पुदुचेरी	10	0	64
	कुल संघ राज्य क्षेत्र	**327**	**544**	**986**
	कुल (अखिल भारत)	**50035**	**52974**	**65893**

स्रोत: क्राइम इन इंडिया।